कार्यालय नगर परिषद फारबिसगंज

पत्रांक.........................

प्रेषक :

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, फारबिसगंज।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा, शाखा
समाजिक प्रक्षेत्र –1
वीरचन्द पटेल मार्ग
पटना– 01

फारबिसगंज, दिनांक...............................

विषयः – अंकेक्षण, प्रतिवेदन सं0 1001/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि फारबिसगंज नगरपरिषद के लेखा वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक का किया गया अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1001/16–17 का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जाता है।

कृपया प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,फारबिसगंज

ज्ञापांक 357 दिनांक 28.2.19

प्रतिलिपि – सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,फारबिसगंज

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 1001/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन

निकाय का नाम – नगरपरिषद फारबिसगंज, अंकेक्षित अवधि वर्ष 2013–14 एवं 2015–16

क्र0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
			भाग (I)		
1	1	प्रस्तावना			
2	5	प्रशासन			
3	3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र			
4	10 (क)	बजट प्राक्कलन के विरूद्ध व्यय के लक्ष्यों की कम प्राप्ति	बजट प्राक्कलन में विचलन नहीं होने का प्रयास किया जा रहा है।		
5	10 (ख)	बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।		
6	10 (ग)	बजट प्राक्कलन निर्धारित अवधि में पारित नहीं किया जाना।	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जाएगा। भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी।		
7	10 (घ)	बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनाया जाना।	विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट प्रारूप में बजट तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायी जाती है। अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र मं बजट बनाया जाएगा।		
8	10 (ड.)	बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं	बजट बनाने के क्रम में बजट तैयार करने के उपरांत सार्वजनिक सहभागित हेतु कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित करायी जाती है एवं प्रचार–प्रसार भी कराया जाता है। प्राप्त सुझावों पर विचरोपरान्त बजट में शामिल किया जाता है।		
9	11	सरकारी अनुदान	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।		
10	12	वित्तीय संव्यवहार	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।		
11	13	रोकड़बही की त्रुटियॉ	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जा रहा है। भविष्य में त्रुटिरहित रोकड़बही अंकेक्षणदल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।		
12	14	बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया जाना	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।		
13	15	वाार्षिक लेखा का संधारण नहीं	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।		
14	16	सामान्य अभियुक्ति	अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।		
			भाग (II) (क)– शुन्य		

क्र0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
भाग (II) (ख)					
15	1	समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई0एच0एस0डी0पी0) के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ रू0 1302.28 लाख	—		
16	2	सेवा कर की वसूली संबंधित व्यक्तियों से नहीं किया जाना। रू0 1.25 लाख	जानकारी के अभाव में सेवा कर की राशि वसूल नहीं की जा सकी। अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में नगर परिषद दुकान को किराये पर देने से पूर्व एकरारनामा कराया जाता है। तथा संबंधित से सेवाकर प्राप्त करने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया है। बोर्ड से प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संबंधित से सेवा कर के रूप में राशि वसूल कर अगले अंकक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।		
17	3	अपूर्ण योजनाओं पर व्यय रू0 88.74 लाख	नगर परिषद फारबिसगंज द्वारा अंकेक्षण दल को समक्ष प्रस्तुत किये गये कुल 22 में कुल 11 योजनाओं में राशि व्यय की गयी है जिसमें 04 योजनाओं पूर्ण हो गयी है। शेष 07 योजनाएँ को पूर्ण करने हेतु संवेदकों को नोटिस निर्गत की गयी है तथा शेष 11 योजनाओं जो जमीन विवाद में लंबित है तथा बोर्ड के समक्ष योजनाओं को रद्द करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।		
18	4	राशि जमा नहीं रू0 10075.00	सैरात बन्दोबस्ती के क्रम में मवेशी रसीद संख्या 5451 से 5604 से वसूल की गई राशि कुल 10075.00 रू0 अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में श्री राम नारायण राय द्वारा राशि 10075.00 वसूल कर बैक चालान संख्या 153 दिनांक 13.02.2019 द्वारा नगर परिषद कोष में जमा करा दिया गया है। चालान की छायाप्रति संलग्न की जाती है। अनु0		
19	5	टैक्स दरोगा द्वारा बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं रू0 3.54 लाख	सैरात बन्दोबस्ती के क्रम में मुख्य बस पड़ाव, रानीगंज टैम्पू स्टैण्ड एवं अम्हारा–खवासपूर टैम्पू स्टैण्ड में वसूल की गई राशि कुल 353700.00 रू0 अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में श्री कृष्णानंद मंडल द्वारा 353700.00 राशि वसूल कर बैक चालान संख्या 158 दिनांक 27.02.2019 द्वारा नगर परिषद कोष में जमा करा दिया गया है। चालान		

क्र0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
20	6	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर निष्फल व्यय रू0 6.50 लाख	जनहित एवं सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में बोर्ड से पारित प्रस्ताव पर आई0एच0एस0डी0पी0, फैन्सी मार्केट वाणिज्य सह कम्पलेक्स आवासीय होटल, अल्प लागत शौचालय तथा सीम क्षेत्र विकास कायक्रम से संबंधित योजनाओं को प्राक्कलन एवं डी0पी0आर0 सरकार से आवंटन प्राप्ति के प्रत्याशा में बनवाया गया था। परन्तु आवंटन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उक्त योजना निश्फल हो गयी। भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी।		
21	7	सोडियम भेपर लाईट का अनियमित क्रय रू0 13.57 लाख	–		
22	8	संवेदकों से विलम्ब शुल्क की कटोति नहीं रू0 39.34 लाख	जानकारी के अभाव में राशि की वसूली नहीं की जा सकी। वर्तमान में अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में योजनाओं की निर्धारित समय–सीमा के उपरांत कार्य पूर्ण होने की स्थिति में संवेदकों से विलम्ब शुल्क की कटोति की जा रहा है जिसे अगले अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।		
23	9	विभागीय वसूली के कारण हानि रू0 38. 52 लाख	विभिन्न सैरातों की अस्थायी बन्दोबस्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत एक भी डाकवक्ता के द्वारा भाग नहीं लेने की स्थिति में राजस्व की हानि को ध्यान में रखते हुये विभागीय वसूली की प्रक्रिया अपनायी गयी। कार्यालय में कर्मियों की संख्या कम होने एवं कार्य अधिकता के कारण पूर्व वर्षो में वसूली की गई राशि के अनुपात में राशि की वसूली नही हो पायी। वर्तमान में सभी सैरातों की बन्दोबस्ती डाक के माध्यम से हो गयी है। भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी।		
24	10	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रू0 71.75 लाख	नगर परिषद के सभी कर्मियों सहित सफाई कर्मियों की संख्या निरन्तरण कमी होने तथा सरकार के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश परिपत्र सं0 3939 दिनांक 20.11.99 से नियुक्ति पर रोक लगने के कारण नगरपरिषद का प्राथमिक कर्तब्य शहर के स्वास्थ्य एवं सफाई का ध्यान रखते हुये समय–समय पर दैनिक मजदूर रखकर सफाई कराने की बाध्यता थी। जिसे किसी भी परिस्थिति मे उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अंकेक्षण अवधि में सफाई कर्मियों के स्वीकृत बल 88 के विरूद्ध 23 सफाई कर्मी कार्यरत थे। यानि कि 65 पद खाली था। यह विचारणीय है कि इतनी कम संख्या में बिना दैनिक मजदूर रखने के बिना सफाई कार्य संभवन नहीं था एवं दैनिक मजदूर रखने के अलावे कोई दूसरा विकल्प नहीं था।		

क्र0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
25	11	अग्रिम की वसूली/समायोजन नहीं रू0 102.37 लाख	अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति के अधीन रखी गयी 102.37 लाख अग्रिम/समयोजन हेतु संबंधित से राशि वसूली का प्रयास किया जा रहा है एवं उन्हे नोटिस निर्गत किया गया है।		
26	12	होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि– 100.31 लाख	अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति के अधीन रखी गयी होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि 100.31 लाख रू0 गई है। उक्त राशि की वसूली सभी बकायेदारों को नोटिस निर्गत किया गया है। वसूली का प्रयास किया जा रहा है।		
27	13	सरकारी भवनों पर बकाया मकान पर रू0 16.29 लाख	अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति के अधीन रखी गयी सरकारी भवनों की बकाया राशि 16.29 लाख रू0 गई है। उक्त राशि की वसूली सभी सरकारी भवनों को नोटिस निर्गत किया गया है। वसूली का प्रयास किया जा रहा है।		
28	14	नगर परिषद के दुकानों पर किराया बकाया रू0 15.43 लाख	अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति के अधीन रखी गयी नगर परिषद के दुकानों पर किरया बकाया राशि 15.43 लाख रू0 गई है। संबंधित से बकाया राशि की वसूली की जा रही है जो प्रगति पर है।		
29	15	संचार मिनारें (मोबाईल/इंटरनेट इत्यादि) पर रू0 21.30 लाख बकाया	अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति के अधीन रखी गयी संचार मिनारों यथा मोबाईल/इंटरनेट इतयादि बकाया राशि 21.30 लाख रू0 गई है। शहर में अधिष्ठापित सभी मोबाईल टावरों के स्थलों का निरीक्षण कर मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया गया है। साथ ही अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है एवं मोबाईल टावर नियमावली 2011 के प्रावधान के अनुसार संबंधित से पंजीकरण, नवीकरण एवं अबतक अंकित बकाया राशि वसूल करने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।		
30	16	सैरातो की बन्दोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर नहीं किये जाने से सरकारी राजस्व की हानि रू0 3.41 लाख	जानकारी के अभाव में स्टाम्प पर एकरारनामा नहीं प्राप्त किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित से स्टाम्प पर एकरारनाम प्राप्त किया जा रहा है जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष रखा जाएगा।		
31	17	विभागीय वसूली के जमा किये जाने का प्रमाण नहीं।	संबंधित को विभागीय वसूली में जमा की गई राशि का प्रमाण उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत की गई है।		
32	18	शिक्षा एवं स्वास्थय उपरकर की राशि संबंधित विभागों को स्थान्तरित नहीं रू0 31.17 लाख	शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस की राशि जमा करने के लिये न0वि0 आ0वि0 से जमा हेतु शीर्ष की मांग की गई है। परन्तु शीर्ष की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। प्राप्त होते ही जमा करने की कारवाई की जायगी।		

क्र0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
33	19	विविध रसीद द्वारा वसूली गई राशि रू0 7515 जमा नहीं।	विविध रसीद संख्या 1371 दिनांक 21.11.16 तथा 1370 दिनांक 21.11.16 से क्रमशः रू0 1500 तथा 5395 कुल 6895 रू0 की वसूली संबंधित व्यक्ति से अंकेक्षण अवधि में जमा करा कर अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। तथा विविध रसीद सं0 6686 दिनांक 19.06.14 राशि 620 रू0 श्री कृष्णानंद मंडल से वसूल कर बैंक चालान सं0 145 दि0 04.02.19 के द्वारा नगर परिषद कोष में जमा करा दिया गया। बैंक चालान की छायाप्रति संलग्न किया जाता है। अनु0		
34	20	अप्रस्तुत विविध रसीद	समयाभाव के कारण नहीं दिखाया जा सका। अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर अंकेक्षण करा लिया जाएगा।		
भाग (III) (TAN)					
35	1	नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं	नगर परिषद फारबिसगंज में नगरपालिका लेखा समिति का गठन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.08.17 के प्रस्ताव 5 से नगरपालिका लेखा समिति के गठन हेतु सशक्त स्थायी समिति को अधिकृत किया गया जिसके आलोक में सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.11.17 से नगरपालिका लेखा समिति का गठन कर लिया गया है।		
36	2	नक्शा स्वीकृति में भवन उपविधि का पालन नहीं किया जाना	नगर परिषद फारबिसगंज द्वारा नक्शा स्वीकृति हेतु भवन उपविधि का पालन किया जाता है। वर्तमान में नक्शा स्वीकृति हेतु भवन उपविधि अन्तर्गत ऑन लाईन माध्यम से वास्तुविदों के द्वारा स्वीकृति के उपरांत कनीय अभियंता एवं अमीन से स्थल जॉचोपरान्त स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नक्शा स्वीकृत की जाती है। अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन वर्तमान में किया जा रहा है।		

क्र0सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का प्रकार	अनुपालन	टिप्पणी	आदेश
37	3	नगरपालिका ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं संचालन नियमावली का विनियमन नहीं	नगर परिषद फारबिसगंज द्वारा शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर रखने के दायित्व के अनुपालन में वर्तमान में प्रतिदिन उठाये जा रहे कूड़–कचरों को एकत्रित कर शहर से दूर विस्थापित किया जाता है। करदाताओं को ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन में निहित नियमों के अन्तर्गत डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था हेतु डस्टबीन क्रय कर उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक करदाता को सूखा एवं गीला कचरा हेतु ब्लू एवं ग्रीन रंग का डस्टबीन उपलब्ध कराया गया है। शहर में अवस्थित कबाड़ी व्यवसायियों एवं कबाड़ियों का चयन कर नगर परिषद के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर एकत्रित कूड़ों को अलग–अलग कर कचड़ो का निष्पादन हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे है। व्यवासायिक क्षेत्रों हेतु अलग से स्टील डस्टबीन की व्यवस्था एवं कचड़ा निष्पादन हेतु स्थान का चयन कर संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। साथ ही शहर में प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता रैली के माध्यम से करदाताओं को जागरूक कर सरकार की डूर–टू–डोर व्यवस्था को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया जाता है। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु नगर परिषद कार्यालय में अलग भंडार रूम की व्यवस्था की गई है जिसमें सभी आवश्यक क्रय किये गये सामग्रियों एवं उपकरणें को रखा जाता है। अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है।		
38	4	योजनाओं को जिला योजना समिति में नहीं भेजा जाना।	नगर परिषद फारबिसगंज में वित्तीय वर्ष 13–14 से 15–16 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत चयनित योजनाओं को जिला योजना समिति से अनुमोदनोपरान्त प्राप्त आवंटन के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। वर्तमान में बी0आर0जी0एफ0 मद की योजना समाप्त हो चुकी है।		
39	5	विज्ञापन शुल्क की पंजी संधारित नहीं।	वर्तमान में विज्ञापन शुल्क की पंजी संधारित की गई है तथा विज्ञापन स्थलों को सर्वे कराया जा रहा है। पंजी एवं सर्वे रिपार्ट अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।		

28/02/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद फारबिसगंज